

प्रकरण क्रमांक : 02/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : Smt. निर्मला लिबो vs रायपुर हाइवे CGRERA-P-Exe.m.PRO-2019-00911

29-07-2022

प्रकरण वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदिका द्वारा श्री शाश्वत सुराना अधि.।

अनावेदक पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण कब्जा वारंट प्रतिवेदन हेतु नियत है।

कब्जा वारंट प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदन अनुसार आवेदिका को वादग्रस्त भवन का कब्जा दिला दिया गया है। आवेदिका अधि. ने भी आवेदिका को कब्जा दिलाए जाने की पुष्टि की। माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन में आदेशित राशि Rs. 7.63.002/- की वसूली हेतु आर.आर. सी. पूर्व में दिनांक 13.07.2021 को कलेक्टर दुर्ग को जारी की जा चुकी है तथा कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है।

माननीय प्राधिकरण के आदेश का संपूर्ण पालन करा दिया गया है। अतः आदेश की पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(दीपा कटारे)

न्याय निर्णायक अधिकारी
न्याय निर्णायक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर